न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 16/2021

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री सागरमल जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल कॉलोनी आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही। 2. श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री सागरमल जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल कॉलोनी आबूरोड तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये तहसीलदार आबूरोड

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री उमाराम रेबारी अधिवक्ता अपीलांट।
2. नायब तहसीलदार सिरोही (पैरोकार सरकार)।

निर्णय

दिनांक : 13.12.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार, आबूरोड द्वारा उनके मुकदमा संख्या 07/2021 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2021 के विरूद्ध दिनांक 14.09.2021 को प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया ।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री उमाराम रेबारी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार आबूरोड द्वारा ग्राम किवरली पटवार हल्का किवरली तहसील आबूरोड जिला सिरोही के खसरा नम्बर 1309, 1775/1310 रकबा 0.01 बीघा, 0.08 बीघा कुल 0.09 बीघा किस्म गै.मु.नाडी व बारानी–3 पर अपीलार्थी का अवैध निर्माण मान कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस अपीलांट को तामिल करवाया गया जिसे अपीलांट पर तामिल मान कर उसे उपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट को हाजिर बताते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने एवं रूपये 24/– का जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये गये, जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नही है। यह है कि उक्त विवादित भूमि अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि थी लेकिन अपीलार्थीगण ने उक्त भूमि को सरकार

जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:48:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

को समर्पण कर दी है एवं उक्त भूमि पर समर्पण करने से पूर्व ही चारदीवारी, लोहे के गेट व पक्का फर्श बनाया हुआ था। यह है कि अपीलार्थीगण ने कभी भी समर्पण के बाद उक्त भूमि पर कोई पर कोई भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है। यह है कि अपीलार्थीगण ने चारदीवारी, लोहे के गेट व पक्का फर्श अपने खातेदारी भूमि में बनाए थे, तत्पश्चात उक्त भूमि को अपीलार्थीगण ने सरकार को समर्पित कर दिया एवं समर्पित करने के बाद उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। यह है कि राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप 9 विभाग द्वारा दिनांक 17.09.2019 को एक अधिसूचना जारी की है कि भूमि के समर्पण के पश्चात उक्त समर्पित भूमि पर यदि कोई निर्माण किया हुआ है तो इसके लिए संपरिवर्तन की कार्यवाही नहीं रोकी जावे एवं ऐसे निर्माण कार्य को अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं माना जावे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर चारदीवारी, लोहे के गेट व पक्का फर्श बनाकर रिसोर्ट के रूप में काम में लिया जा रहा है। पटवारी हल्का किवरली के रिपोर्ट के आधार अपीलार्थीगणों द्वारा मौके पर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है । अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है। अपीलान्ट आदतन अतिक्रमी है एवं विवादित भूमि सरकारी बिलानाम भूमि है जो नियमों के तहत आवंटन या नियमन नही हो सकती। राजकीय भूमि की रक्षा करना प्रशासन का प्रथम दायित्व बनता है। यदि राजकीय भूमि अतिक्रमित हो जायेगी तो पशुओं के चराई के ऊपर भारी संकट उत्पन्न हो सकता है, अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भाँति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हुँ कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन नाडी [illegible] को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संवत् 2078 मे अतिक्रमण करने एवं [illegible] लोहे के गेट व पक्का फर्श बनाकर रिसोर्ट के रूप में [illegible] लेने से राज[illegible] भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस [illegible] विवादित भूमि रिक्त करने की अपेक्षा की गई थी उक्त नोटिस अपीलांट को तारीख पेशी से पूर्व तामिल कराया गया था एवं अपीलांट तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ। तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल शुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:48:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

नोटिस अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी अपीलांट ने अपने स्वयं के हस्ताक्षर कर उपस्थिति दर्ज की है एवं जवाब प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का किवरली की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा मौजा किवरली पटवार हल्का किवरली के खसरा संख्या 1309, 1775/1310 रकबा 0.01 बीघा, 0.08 बीघा कुल 0.09 बीघा किस्म गै.मु.नाडी व बारानी–3 पर अपीलांट ने अवैध चारदीवारी, लोहे के गेट व पक्का फर्श बनाकर रिसोर्ट के रूप में काम में लिया जाकर अतिक्रमण कर रखा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगणों द्वारा उक्त विवादित भूमि को राज्य सरकार को समर्पित कर दिया है एवं वर्तमान में उक्त विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में बिलानाम सरकार दर्ज है। यह है कि अपीलार्थीगण द्वारा इस बाबत् इस न्यायालय में शपथ पत्र भी पेश किया है कि उक्त विवादित भूमि पर उनके द्वारा समर्पित करने से पूर्व ही चारदीवारी, लोहे के गेट व पक्का फर्श बनाया हुआ है एवं समर्पित करने के बाद उनके द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है एवं पटवारी हल्का किवरली ने भी अपनी रिपोर्ट एवं जवाब में भी यह कहीं पर भी अंकित नहीं किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अतिक्रमण विवादित भूमि को समर्पित करने के बाद किया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा उक्त निर्माण कार्य पूर्व में किया जाना प्रतीत होता है। यह है कि अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में उक्त विवादित भूमि के संबंध में शपथ पत्र इस आशय का पेश किया है कि जब भी सरकार को उक्त विवादित भूमि की अवाप्ति की जरूरत होगी तब अपीलार्थी कोई मुआवजा राशि की मांग नहीं करेगा एवं भूमि पर बने निर्माण व उक्त भूमि का कोई मुआवजा राशि की मांग नहीं करेगा। यह है कि इस संबंध में राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर ने एक परिपत्र जरिए पत्र क्रमांक/2(14)राज–9/2019 जयपुर दिनांक 17.09.2019 को जारी किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि संपरिवर्तित भूमि तक पहुंचने के लिए उचित चौडाई का रास्ता (न्यूनतम 30 फीट चौडा) उपलब्ध होना आवश्यक है। यदि इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों से प्रभावित भूमि से संपरिवर्तित भूमि [illegible] के लिए इस प्रभावित भूमि से ही रास्ता उपलब्ध है [illegible] भूमि समर्पित करनी होगी। यदि पूर्व से कोई [illegible] संपरिवर्तित भूमि तक पहुंचने के लिए उपलब्ध है तो इसकी आवश्य[illegible] नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से अपीलांट की अपील

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:48:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सहानुभूतिपूर्वक आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि यदि इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार उचित चौडाई का रास्ता न्यूनतम 30 फीट के अन्दर यदि अपीलांट का निर्माण किया हुआ है तो अधीनस्थ न्यायालय उसे तोडने हेतु स्वतंत्र रहेगें एवं इससे अधिक चौडाई में जो अतिक्रमण है उस पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, IRC के मापदण्डों के अनुसार कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी क्योंकि भूमि जिस पर 30 फीट के बाहर अतिक्रमण है वह NHAI की सीमा में आ रही है एवं व्यक्ति की स्वयं की समर्पित भूमि है। यदि निर्माण NHAI की शर्तों के विपरीत है तो NHAI पृथक से धारा 91 का प्रकरण दर्ज करा सकेगी। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय इस सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा दिए गए शपथ पत्र की प्रतिलिपि सम्बन्धित पटवारी को रिकार्ड में रखने के दृष्टिकोण से प्रेषित कर सके ताकि भविष्य में शपथ पत्र अनुसार कार्यवाही की जा सके।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:48:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner